

## जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानकों (एन.पी.ओ.पी. अनुभाग-3, अनुच्छेद-1) पर आधारित संस्था के आंतरिक मानक

**टीप :-** जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय मानकों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संशोधित एन.पी.ओ.पी. अनुभाग -3, अनुच्छेद-1 का अध्ययन करें। यह दस्तावेज 'एपीडा' नई दिल्ली के वेबसाइट [www.apeda.gov.in](http://www.apeda.gov.in) पर उपलब्ध है।

### 1. फसल उत्पादन योजना (Crop Production Plan) /जैविक प्रबंधन योजना (Organic Management/System Plan):

राष्ट्रीय जैव उत्पादन मानकों अनुसार जैविक प्रमाणीकरण के लिए जैविक फसल उत्पादन की लिखित योजना तैयार करना आवश्यक है। इसकी जानकारी का प्रपत्र संस्था के फसल उत्पादन बावत आवेदन पत्र के साथ दिया गया है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए :-

- उत्पादन चक्र (सामान्यतया 1 वर्ष) में विभिन्न कृषि जलवायु मौसमों में उगाई जाने वाली फसलों (मुख्य एवं अन्तर्वर्ती) की जानकारी।
- अपनाई जाने वाली कृषि क्रियाओं की जानकारी।
- उपयोग किये जाने वाले आदानों की सूची जिसमें उनके संघटन, उपयोग की दर, आवृत्ति एवं स्रोत की जानकारी हो।
- बीज एवं पौध रोपण सामग्री का स्रोत।
- जैविक उत्पादन इकाई में परंपरागत कृषि फार्म, समानान्तर उत्पादन आदि से आशंकित [मिलावट/अपमिश्रण](#) एवं संदूषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाली प्रबंध क्रियाओं का विवरण।
- जैविक प्रक्षेत्र के रिकार्ड संधारण व्यवस्था का विवरण।

### 2. रूपांतरण आवश्यकताएँ (Conversion Requirements) :

- जैविक प्रबंधन तंत्र (Organic management system) को स्थापित होने एवं मृदा उर्वरता के सुधार होने में एक अंतरिम समयावधि की आवश्यकता होती है, जिसे रूपांतरण अवधि (Conversion period) कहा जाता है। यह वह समयावधि होती है जिसमें जैविक प्रबंधन तंत्र एवं मानकों से संबंधित समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
- मानकों के अनुपालन का क्रियान्वयन रूपांतरण अवधि के प्रारंभ से अन्त तक किया जाता है।
- प्रचालक/ऑपरेटर के प्रक्षेत्र के प्रथम निरीक्षण की तिथि से रूपांतरण अवधि प्रारंभ होती है।
- पर्याप्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर ऐसे प्रकरणों में, जिनमें जैविक मानकों की आवश्यकताओं को विगत कई वर्षों से पूरा किया जाता रहा हो, पूर्ण रूपांतरण अवधि को कम किया जा सकेगा।

### 3. रूपांतरण की अवधि (Duration of Conversion Period) :

- एक वर्षीय एवं द्वि-वर्षीय फसलों हेतु न्यूनतम 2 वर्ष।
- बहु वर्षीय फसलों (ग्रासलैंड को छोड़कर)रूपांतरण अवधि कम से कम तीन वर्ष (36 महीने) की मानी जाएगी।
- प्रमाणीकरण संस्था रूपांतरण अवधि में कमी या वृद्धि पूर्व के भूमि उपयोग एवं वातावरणीय दशाओं के अनुसार कर सकती है।
- संस्था द्वारा पर्याप्त प्रदर्शन, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर ऐसे प्रकरण, जिनमें भूमि पिछले तीन या अधिक वर्षों से पड़ती (Idle) पड़ी है एवं/अथवा उसमें जैविक मानकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती रही हो, मे पूर्व रूपांतरण अवधि में एक वर्ष (12 माह) की कमी की जा सकती है।
- रूपांतरण अवधि के दौरान उत्पाद को "जैविक कृषि रूपांतरण के उत्पाद" या इससे मिलते जुलते आशय की जानकारी दर्शा कर विक्रय किया जा सकता है।

### 4. प्राकृतिक दृश्य (Land Landscape) :

- जैविक प्रबंध इकोसिस्टम के विकास एवं जैव विविधता के संवर्धन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बावत जैविक क्षेत्रों में जैव विविधता मुख्यतः प्राकृतिक रूप से पड़ी हुई अत्याधिक घास की भूमि, वानस्पतिक झाड़ियों से आच्छादित एवं वन भूमि, पुरानी पड़ती भूमि, प्राकृतिक नालों, झरनों एवं अन्य प्राकृतिक संसादनों/प्रजातियों के रखरखाव से की जा सकती है।

## 5. फसलों तथा किस्मों का चयन (Choice of Crops and Varieties):

- I. सर्व प्रथम जैविक प्रमाणित (Certified Organic) बीज एवं पौध सामग्री को प्राथमिकता देते हुये ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो भूमि एवं जलवायु के अनुकूल होने के साथ-साथ रोग एवं कीट प्रतिरोधी भी हों।
- II. प्रमाणित जैविक बीज एवं पौध सामग्री उपलब्ध न होने की दशा में रसायनिक रूप से अनुपचारित परंपरागत बीज एवं पौध सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा।
- III. अनुवांशिक अभियांत्रित बीज, ट्रांसजीनिक पौधे या पौध सामग्री (जी.एम. सीड एवं प्लांट मटेरियल) का उपयोग **प्रतिबंधित** है।

## 6. फसल उत्पादन में विविधता एवं प्रबंधन (Diversity in Crop Production and Management Plan) में विविधता :

- I. मृदा की संरचना, उर्वरता एवं ईकोसिस्टम (प्राकृतिक सिस्टम) को संधारित करते हुये जैविक खेती को इस प्रकार अपनाना चाहिए ताकि पोषक तत्वों की क्षति कम से कम हों। इस बावत् मोटे तौर पर क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के आधार पर निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए :
  - (अ) फसलों के चयन में विविधता इस प्रकार अपनाना चाहिए की कीट, खरपतवार एवं व्याधि का प्रकोप न्यूनतम होने के साथ-साथ मिट्टी की संरचना, उर्वरता तथा कार्बनिक पदार्थ (organic matter) में बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके।
  - (ब) क्षेत्रीय आवश्यकता एवं जलवायु को ध्यान में रखते हुये उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए।
  - (स) मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति बावत् फसल चक्र में दलहनी (लेग्युमिनस) फसलों (मूंग, उड़द एवं सोयाबीन आदि) एवं हरी खाद (सन एवं ढेंचा) को शामिल करना चाहिए।

## 7. पोषण प्रबंधन (Nutrient Management) :

- I. जैविक फार्म में पौध अवशेष, जन्तु अवशेष एवं ऐसे अवशेष जो सड़ सकें (Bio-degradable material), पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके या घट ना पाये। इस तथ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है की इस तरह के Bio-degradable material की कुल मात्रा इतनी अधिक भी न हो की क्षेत्रीय परिस्थितियों एवं फसलों की प्रकृति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े।
- II. पोषण प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे से पोषक तत्वों की क्षति न्यूनतम हो। (इस संदर्भ में किये जाने वाले उपायों के बारे में ऊपर उल्लेखित बिन्दु क्रमांक-6 में दर्शाया गया है) जैविक क्षेत्र में भारी धातुओं (Heavy metals) एवं अन्य प्रदूषकों (Contaminants) के जमाव को रोकना चाहिए।
- III. मिट्टी का उपयुक्त pH स्तर का संधारण किया जाना चाहिए।
- IV. खनिज उर्वरकों (Mineral fertilizers) का जैवांश खादों (Organic manures) के साथ पूरक रूप में प्रयोग **परिशिष्ट-1** में दर्शाये अनुसार किया जा सकेगा। उर्वरता प्रबंधन में उक्त पूरक प्रयोग करने की अनुमति संस्था द्वारा मात्र इस शर्त पर दी जा सकती है जब सवमान्य रूप से उर्वरता प्रबंधन न किया जा सकता हो।
- V. मानव मलमूत्र से तैयार खाद **प्रतिबंधित** है।
- VI. खनिज उर्वरकों को उनके **मूल रूप** में ही उपयोग किया जा सकेगा।
- VII. संश्लेषित नत्रजन उर्वरक का प्रयोग, जिसमें **यूरिया** भी शामिल है, **प्रतिबंधित** है।  
खनिज पोटेशियम, मैग्नेशियम उर्वरक, सूक्ष्म तत्वों आदि का प्रयोग इनकी आवश्यकता सुनिश्चित होने पर निर्धारित सीमा में ही किया जा सकेगा।

## 8. कीट, रोग तथा खरपतवार प्रबंधन (Pest, Disease and Weed Management) :

- I. कीट, रोग एवं खरपतवार का प्रकोप कम से कम सुनिश्चित करने बावत् क्षेत्र अनुसार निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए :
  - (अ) कीट, व्याधि एवं खरपतवार प्रतिरोधक प्रजातियों का क्षेत्रीय जलवायु अनुसार चयन करना चाहिए।
  - (ब) समस्त कृषि क्रियाकलाप (विशेषतया कटाई पूर्व के क्रियाकलाप) जैसे-खेत की जुताई/तैयारी, बोनी, सिंचाई एवं पोषण आदि निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न करना चाहिए।
  - (स) पोषण प्रबंधन संतुलित होना चाहिए।

- (द) उचित फसल चक्र अपनाते हुये अन्तरवर्तीय फसल पद्धति एवं हरी खाद का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
- (ई) फसलों की कांतिक अवस्थाओं में संतुलित सिंचाई करना चाहिए।
- II. कीट व्याधियों से बचाव हेतु उनके प्राकृतिक क्षत्रुओं की संख्या में वृद्धि के उपाय किये जाने चाहिए। इस बावत् प्राकृतिक झाड़ियों का एवं जीव-जंतुओं के ठहरने के स्थानों का संरक्षण किया जाना चाहिए।
- III. कीट, व्याधि एवं खरपतवार नियंत्रण बावत् प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सुनिश्चित करते हुये पौध, जन्तु एवं माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रयोग परिशिष्ट-2 में दर्शाये अनुसार किया जाना चाहिए। इनसे निर्मित ऑन-फार्म (प्रक्षेत्र में तैयार किये गये) आदानों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- IV. प्रक्षेत्र से बाहर के आदानों के प्रयोग को प्राथमिकता नहीं दी जाना चाहिए क्योंकि इनका प्रयोग निर्धारित नियमानुसार मूल्यांकन के पश्चात संस्था की अनुमति उपरांत ही किया जा सकता है।
- V. समस्त उपकरणों को जैविक क्षेत्र में प्रयोग किये जाने से पूर्व उचित सफाई आवश्यक होगी ताकि संदूषण न हो सके।
- VI. सिन्थेटिक खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी, वृद्धि नियंत्रक, संश्लेषित रंजक (Dye) एवं कीटनाशी का प्रयोग **प्रतिबंधित** है।
- VII. जी.एम.ओ. उत्पाद का प्रयोग **प्रतिबंधित** है।
- 9. संदूषण नियंत्रण (Contamination Control) :**
- I. फार्म के अन्दर एवं बाहर से संदूषण को न्यूनतम करने के लिए समस्त आवश्यक उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
- II. परंपरागत/रासायनिक प्रक्षेत्रों से संदूषण की रोकथाम हेतु बफर जोन (अवरोधक क्षेत्र) का संधारण करना चाहिए। बफर जोन उपयुक्त हो ताकि समीपस्थ भूमि/खेतों से संदूषण न हो सके।
- III. संदूषण की आशंका पर प्रभावित उत्पादों की या/एवं स्रोत यथा मृदा, जल एवं पौध की नमूना जाँच कराना होगी।
- IV. पॉलीक्लोराइड पॉलीथीन का प्रयोग **प्रतिबंधित** है। पॉलीइथाइलिन, पालीप्रोपाइलीन या अन्य पॉलीकार्बोनेट आदि का प्लास्टिक मल्च, कीट जाल एवं साइलेज रेपिंग में उपयोग किया जा सकता है परन्तु किसी भी प्रकार की प्लास्टिक को खेत में उपयोग के बाद न तो खेत में छोड़ना एवं न ही जलाना चाहिए।
- 10. मृदा एवं जल संरक्षण (Soil and Water Conservation):**
- I. भूमि एवं जल संसाधनों का उपयोग टिकाऊ रूप से करना चाहिए ताकि उनमें **क्षरण** न हो सके। इस बावत् खेतों में उचित स्थानों में मिट्टी के छोटे-छोटे बंधान ढाल की विपरित दिशा में बनाने चाहिए एवं अतिरिक्त जल की उचित निकासी बावत् नालियों का निर्माण करना चाहिए। भू-क्षरण, मृदा लवणीयता, जल का अति उपयोग एवं भू एवं सतहीजल के प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाए जाने चाहिए।
- II. प्राथमिक वनों को नष्ट करना **प्रतिबंधित** है। वनस्पति अवशेष/जैवांश को जलाकर भूमि साफ करना अति आवश्यक होने पर ही न्यूनतम मात्रा में किया जाना चाहिए।
- 11. वनस्पति मूल की न बोई गई सामग्री का संग्रहण (Collection of non cultivated material of plant origin/forest produces):**
- I. मात्र वे ही जंगली पौधे या उनके कोई हिस्से, जो कि प्राकृतिक रूप से जंगल में हैं तब ही जैविक प्रमाणित किये जा सकेंगे जब यह सुनिश्चित हो सकेगा की वे जिस जंगली क्षेत्र से एकत्रित किये जा रहे हैं उसमें किसी **प्रतिबंधित** सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ है।
- II. यदि जंगली क्षेत्र में खेती की जा रही है तो प्रचालक/ऑपरेटर को फसल उत्पादन बावत् निर्धारित राष्ट्रीय जैविक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- III. लघुवनोपज के संग्रहण के प्रकरण में राज्य शासन के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। संग्रहण जड़ मूल को नष्ट करते हुये नहीं करना चाहिए ताकि स्थानीय पर्यावरण प्रणाली (Ecosystem) को हानि न हो। स्पष्ट रूप से निर्धारित वन क्षेत्र से ही उत्पादों का संग्रहण किया जाना चाहिए।
- IV. वन्य फसल उत्पादों को केवल तभी जैविक प्रमाणित किया जा सकेगा जब उन्हें एक सुस्थिर तथा पोषणीय विकासमान वातावरण से प्राप्त किया गया हो। संग्रहण की गई मात्रा पर्यावरण प्रणाली की

# म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल



पोषणीय पैदावार से अधिक नहीं होना चाहिये, ताकि वनस्पति अथवा पशु प्रजातियों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न न हो।

- V. उत्पादों को केवल तभी जैविक प्रमाणित किया जायेगा यदि उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित एक ऐसे संग्रहण क्षेत्र से प्राप्त किया गया है, जिसका वर्जित तत्वों के साथ कोई सम्पर्क नहीं हुआ है, तथा जो निरीक्षण के अंतर्गत है।
- VI. संग्रहण क्षेत्र को पारंपरिक कृषि-क्षेत्र, प्रदूषण तथा संदूषण से समुचित दूरी पर स्थित होना चाहिये।
- VII. जंगली उत्पाद की कटाई एवं संग्रहित करने वाले की स्पष्ट पहचान होना चाहिए एवं उसे संग्रहण क्षेत्र की जानकारी भी होना चाहिए।

— — — — —

MP SOCA

# म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

## उर्वरण तथा मृदा अनुकूलन में प्रयोगार्थ उत्पाद

जैविक कृषि में मृदा उर्वरता को ऐसी जैविक सामग्री के पुनः चक्रण के माध्यम से बनाये रखना संभव हो सकता है जिनके पोषक तत्वों को मृदा सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया की कार्यवाही के द्वारा फसलों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

इनमें से अधिकतर को **आदानों** के प्रयोग के अंतर्गत जैविक उत्पादन में स्वीकृत (Allowed)/सीमित/निषिद्ध किया गया है। निम्न तालिका में दर्शाये निर्देशानुसार इनका पालन सुनिश्चित करना होगा।

आदान	उपयोग हेतु निर्देश
<b>जैविक प्रक्षेत्र इकाई के अंतर्गत उत्पादित पदार्थ</b>	
प्रक्षेत्र तथा मुर्गी खाद, स्लरी, गौमूत्र	उपयोग किया जा सकता है।
फसल अवशेष तथा हरी खाद	उपयोग किया जा सकता है।
भूसा तथा अन्य घासपात	उपयोग किया जा सकता है।
<b>जैविक प्रक्षेत्र इकाई से बाहर उत्पादित पदार्थ</b>	
परिरक्षकों से रहित रक्त आहार, मांस आहार, अस्थि आहार, पिच्छ (पंख) आहार	*आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
किसी भी कार्बन आधारित अवशिष्टों (मृगी सहित पशुओं का मल) से निर्मित कम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
खाद, स्लरी, गौमूत्र ( <b>**'फैक्टरी कृषि' स्त्रोतों को अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।</b> )	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मछली तथा परिरक्षकों रहित मछली उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
ग्वानो (चिड़ियों के बीट से तैयार खाद)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मानव मल	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
सूक्ष्म जीव, वनस्पति अथवा पशु मूल के जैविक रूप से नष्ट हो सकने वाली सामग्री के खाद्य तथा वस्त्र उद्योगों के कृत्रिम योज्यों से रहित उप उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कृत्रिम योज्यों से रहित पांस	उपयोग नहीं किया जा सकता है। (मृदा अनुकूलन हेतु निषिद्ध)
बुरादा, लकड़ी की छीलन, लकड़ी बर्तों कि वह अशोधित लकड़ी से उत्पन्न हो।	उपयोग किया जा सकता है।
समुद्री शैवाल तथा भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न समुद्री शैवाल उत्पाद, जल द्वारा अथवा जल या क्षारीय अम्ल या क्षारीय घोल द्वारा निष्कर्षण	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मलजल गारा तथा पृथक स्त्रोतों से शहरी कम्पोस्ट जिनकी संदूषण हेतु निगरानी की गई हो	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
भूसा	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वर्मीकम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पशु चारकोल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कम्पोस्ट तथा प्रयुक्त मशरूम तथा कृमिरूपी पदार्थ	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
जैविक घर संदर्भ से कम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वनस्पति अवशिष्ट से कम्पोस्ट	उपयोग किया जा सकता है।
ताड़ (आयल पाम), नारियल तथा कोको से उत्पन्न उपजात (खाली फल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।

\* आपात स्थिति के उपयोग सूची के आदानों को प्रमाणीकरण संस्था की पूर्व अनुमति लेकर उपयोग किया जाए।

\*\* फैक्टरी कृषि से अभिप्राय औद्योगिक प्रबंध प्रणालियों से है जो कि ऐसे पशु चिकित्सा तथा आहार इनपुट्स पर बहुत अधिक निर्भर होती हैं जिनको जैविक कृषि में अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

# म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल



गुच्छों, ताड़ तेल मिल बाहिःस्त्राव (पोम), कोको पांस तथा खाली कोकोआ फली सहित)	
जैविक कृषि के अवयवों का प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों के उपजात	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
<b>खनिज</b>	
बेसिक धातुमल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
चूनेदार तथा मैग्नेशियम पत्थर	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कैल्सीभूत शैल प्रवाल	उपयोग किया जा सकता है।
कैल्शियम क्लोराइड	उपयोग किया जा सकता है।
<b>प्राकृतिक</b> मूल के कैल्शियम कार्बोनेट (चाक, चूना-पत्थर, जिप्सम और फॉस्फेट चाक)	उपयोग किया जा सकता है।
निम्न क्लोरीन धारित युक्त खनिज पोटेशियम (यथा सल्फेट आफ पोटाश, काइनाइट, सिल्वीनाइट, पाटेनकली)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
प्राकृतिक फॉस्फेट्स (यथा रॉक फॉस्फेट्स)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
चूर्ण शैल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सोडियम क्लोराइड	उपयोग किया जा सकता है।
सूक्ष्म मात्रिक तत्व (बोरोन, लोहा, मैंगनीज, मॉलीबडनम, जस्ता )	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
अशोधित लकड़ी से काष्ठराख	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पोटेशियम सल्फेट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मैग्नेशियम सल्फेट (इप्सॉन नमक)	उपयोग किया जा सकता है।
जिप्सम (कैल्शियम सल्फेट)	उपयोग किया जा सकता है।
धानी तथा धानी अर्क (साइलेज एवं साइलेज एक्सट्रेक्ट)	उपयोग किया जा सकता है। (अमोनियम साइलेज को छोड़कर)
एल्युमिनियम कैल्शियम फॉस्फेट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सल्फर	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पत्थर-चक्की (स्टोन मील)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मिट्टी (बेन्टोनाइट, परलाइट, जियोलाइट)	उपयोग किया जा सकता है।
<b>सूक्ष्मजैविक विरचनें</b>	
जीवाणु विरचनें (जैव उर्वरक)	उपयोग किया जा सकता है।
बायोडायनैमिक विरचनें	उपयोग किया जा सकता है।
वनस्पति विरचनें तथा वनस्पति मूलक अर्क	उपयोग किया जा सकता है।
कृमिरूप (वर्मीकुलेट)	उपयोग किया जा सकता है।
पांस	उपयोग किया जा सकता है।



# म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

## वनस्पति कीट तथा रोग नियंत्रण हेतु उत्पाद

जैविक कृषि में वनस्पति उत्पादन में कीटों तथा रोगों के नियंत्रण हेतु कतिपय उत्पादों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे उत्पादों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करना नितांत आवश्यक हो तथा पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुये उनका चयन किया जाना चाहिए।

इनमें से अनेक उत्पादों को जैविक उत्पादन में प्रयोग हेतु सीमित किया गया है। निम्न तालिका में दृश्याये अनुसार इनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आदान	उपयोग हेतु निर्देश
<b>1. वनस्पति तथा पशु मूल के पदार्थ</b>	
Azadirachta Indica (नीम उत्पाद)	उपयोग किया जा सकता है।
नीम तेल	* आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
Derris elliptica, Lonchocarpus, Thephorsia spp से रोटेनोन की निर्मिति	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
जेलेटिन	उपयोग किया जा सकता है।
प्रेपोलिस	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वनस्पति आधारित विकर्षक (जैसे- लहसुन, पोंगेमिया आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
पायरेथ्रिन्स, सिनेरेरीफोलियम से विकर्षित पायरेथ्रिन्स उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
क्यूसिया अमारा से तैयार उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कीटों के परजीवी-परभक्षियों का प्रयोग	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
रेनिया स्पीसीज का विकर्षक (Ryania species)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
तंबाकू चाय	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
लेसिथिन	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कैसीन	उपयोग किया जा सकता है।
शैल प्रवाल, शैल प्रवाल भोजन, शैल प्रवाल अर्क, समुद्री नमक तथा खारा पानी	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मशरूम का अर्क (शिटाके फफूंद)	उपयोग किया जा सकता है।
क्लोरेला का अर्क	उपयोग किया जा सकता है।
एस्पेरजिलस का किण्वित उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
प्राकृतिक अम्ल (सिरका)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
<b>2. खनिज</b>	
चूना/सोडा के क्लोराईड	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
क्ले (यथा बेन्डोनाइट, परलाइट, वर्मिक्यूलाइट, जिओलाइट)	उपयोग किया जा सकता है।

# म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल



फफूंद नाशक के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले कॉपर सॉल्ट्स/इनऑर्गेनिक साल्ट्स (बोर्डो मिक्स, कॉपर हाइड्रोऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मिनरल पाउडर्स (स्टोन मील)	उपयोग नहीं किया जा सकता।
डायटोमिसायस अर्थ	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
हल्के खनिज तेल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
परमैंगनेट ऑफ पोटेश	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
लाइम सल्फर (कैल्शियम पोलिसल्फाइड)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सिलिकेट्स, क्ले (बेन्टोनाइट)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सोडियम बाइकार्बोनेट (खाने का सोडा)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सल्फर (फफूंद नाशक, मकड़ीनाशी, विकर्षक के रूप में)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
<b>3. जैविक पीड़क नियंत्रण हेतु सूक्ष्मजीव</b>	
विषाणु विरचनें (उदाहरणार्थ-ग्रेन्थूलोसिस वाइरस, न्यूक्लियस पोलिहाइड्रोसिस वाइरस आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
फंगस प्रीपेरेशंस (उदाहरणार्थ-ट्रिकोडरमा प्रजातियां आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
बैक्टेरियल प्रीपेरेशंस (उदाहरणार्थ, बेसिलस प्रजातियां आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
परजीवी (पेरासाइट्स), परभक्षी (प्रीडेटर्स) और वन्ध्य कीट	उपयोग किया जा सकता है।
<b>4. अन्य</b>	
कार्बन डायऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मुलायम साबुन (पोटाशियम साबुन)	उपयोग किया जा सकता है।
इथाइल एल्कोहल	उपयोग नहीं किया जा सकता।
होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक विरचनें (पदार्थ)	उपयोग किया जा सकता है।
जड़ीबूटी युक्त तथा बायोडायनैमिक विरचनें	उपयोग किया जा सकता है।
<b>5. फंदे (Trap)</b>	
भौतिक विधियाँ (उदाहरणार्थ-क्रोमोटिक फंदे, मैकेनिकल फंदे, प्रकाश फंदे चिपकने वाले फंदे और फेरोमोन्स)	उपयोग किया जा सकता है।

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_